न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 117 सन 2019

अनवान :–

1. वीरपालकौर उर्फ कुलवन्तकोर पुत्री बाबुसिह पत्नी बलदेवसिह जाति जटसखि निवासी सिगों तहसील तलवण्डी साबो जिला भटिण्डा।

सायला

बनाम

1. मुख्त्यारकोर पत्नी बाबुसिह जाति जटसिख साकिन चारणवासी तहसील नोहर हाल आबाद गदराना रोड मैरिज पैलेश के पिछे कालावाली तहसील कालावाली जिला सिरसा
2. जगरसिह पुत्र बाबुसिह जाति जटसिख साकिन चारणवासी तहसील नोहर हाल आबाद गदराना रोड मैरिज पैलेश के पिछे कालावाली तहसील कालावाली जिला सिरसा
3. वकीलसिह पुत्र बाबुसिह जाति जटसिख साकिन चारणवासी तहसील नोहर हाल आबाद गदराना रोड मैरिज पैलेश के पिछे कालावाली तहसील कालावाली जिला सिरसा
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

गैर सायलान

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता सायल
श्री रामकुमार बेनीवाल अधिवक्ता गैरसायल
निर्णय दिनांक :– 18/4/22

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 3/4 की कुल 17.7100हैक भूमि सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ता 3 बहिब 300 हिस्सा भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है।

बाबुसिह पुत्र निकासिह फोत हो गया है जिसके जायज वारीस सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ता 3 ही है बाबुसिह पुत्र निकासिह के देहान्त होने पर सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ता 3 बहिब 1/4–1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है और सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ता 3 अपने अपने हक हिस्सा की भूमि का काश्त करते आ रहे है और रकमराज जमा करवाते आ रहे है।

बाबुसिह के फोत होने पर सायला एवं गैरसायल न0 1 ता 3 बहिब 1/4 –1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए लेकिन गैरसायल न0 1 ता 3 ने साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरिके से सायला को बिना बताए बाबुसिह पुत्र निकासिह के फोत होने पर विरास्तन इन्तकाल अपने अकेले के नाम करवा लिया गया जिससे सायला के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिये सायला विवादित भूमि में अपने 1/4 हिस्सा की धोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अमल दरामद करवाने के अधिकारीणी है।

गैरसायल संख्या 1 ता 3 ने हक से ज्यादा भूमि अपने नाम दर्ज करवाली है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भूमि को रहन बैय एवं मुन्तिकिल करने की धमकी देते है यदि गैरसायल संख्या 1 ता 3 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को भारी नुकसान होता है इसलिये सायला गैरसायला के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीणी है।

अतः सायला गैरसायलान को पाबन्द करवाने की अधिकारीणी है कि वह रोही मोजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 3/4 की कुल 17.7100हैक भूमि में से 300 हिस्सा भूमि का रहन बैय एवं मुतकिल ना करे एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 ,2 को रजिस्टर सम्मन से तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही की गई

Scanned with CamScanner

गैरसायल संख्या 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

सायला ने अपना समस्त हक व हिस्सा पूर्व में त्याग कर चुकी है तथा गैरसायलान ने भूमि से ज्यादा दान दहेज व समस्त परिवारिक दायित्व निर्वह करके वादिया को दिया है जिससे खुश होकर सायला ने मौखिक तौर पर अपना हक व हिस्सा का गैरसायलान संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया था तथ सहमति से ही हक त्याग के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवा दिया था अब लालच में आकर दावा पेश किया है अतः न्यायालय से धोषणा करवाने के अधिकारी है कि सायला ने अपना समस्त हक व हिस्सा का त्याग कर दिया है सायला को प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नही है अतः सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 3 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो को सुना गया

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 3/4 की कुल 17.7100हैक भूमि सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ता 3 बहिब 300 हिस्सा भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है।

बाबुसिह पुत्र निकासिह फोत हो गया है जिसके जायज वारीस सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ता 3 ही है बाबुसिह पुत्र निकासिह के देहान्त होने पर सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ता 3 बहिब 1/4–1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है और सायला एवं गैरसायल संख्या 1 ता 3 अपने अपने हक हिस्सा की भूमि का काश्त करते आ रहे है और रकमराज जमा करवाते आ रहे है।

बाबुसिह के फोत होने पर सायला एवं गैरसायल न0 1 ता 3 बहिब 1/4 –1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए लेकिन गैरसायल न0 1 ता 3 ने साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरिके से सायला को बिना बताए बाबुसिह पुत्र निकासिह के फोत होने पर विरास्तन इन्तकाल अपने अकेले के नाम करवा लिया गया जिससे सायला के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिये सायला विवादित भूमि में अपने 1/4 हिस्सा की धोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अमल दरामद करवाने के अधिकारीणी है।

गैरसायल संख्या 1 ता 3 ने हक से ज्यादा भूमि अपने नाम दर्ज करवाली है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भूमि को रहन बैय एवं मुन्तिकिल करने की धमकी देते है यदि गैरसायल संख्या 1 ता 3 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को भारी नुकसान होता है इसलिये सायला गैरसायला के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीणी है।

गैरसायल संख्या 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला ने अपना समस्त हक व हिस्सा पूर्व में त्याग कर चुकी है तथा गैरसायलान ने भूमि से ज्यादा दान दहेज व समस्त परिवारिक दायित्व निर्वह करके वादिया को दिया है जिससे खुश होकर सायला ने मौखिक तौर पर अपना हक व हिस्सा का गैरसायलान संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया था तथ सहमति से ही हक त्याग के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवा दिया था अब लालच में आकर दावा पेश किया है अतः न्यायालय से धोषणा करवाने के अधिकारी है कि सायला ने अपना समस्त हक व हिस्सा का त्याग कर दिया है सायला को प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नही है अतः सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायला वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही एवं सायला ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया गया है अथवा नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 3/4 की कुल 17.7100हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 3 बहिब 300 हिस्सा भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है।

प्रस्तुत नामान्तकरण के अनुसार वाद भूमि बाबुसिह पुत्र निकासिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुई है।

सायला का कथन है कि बाबुसिह पुत्र निकासिह के जायज वारिसान सायला एव गैरसायल संख्या 1 ता 3 है किन्तु वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 3 ने अपने नाम दर्ज करवाई गई है सायला का कथन साक्ष्य सबुतो के आधार पर वाद में तय होगा की सायला बाबुसिह की वारिस है अथवा नही प्रथम दृष्टया प्रकरण सायला के पक्ष में प्रतीत होता है।

Scanned with CamScanner

सायला का कथन है कि वाद भूमि में सायला का गैरसायलान के साथ बराबर का हक हिस्सा है अर्थात बाबुसिह पुत्र निकासिह के नाम दर्ज भूमि बाबुसिह के देहान्त होने के बाद सायल एव गैरसायलान के हक हिस्सा की भूमि है जबकि गैरसायल संख्या 3 का कथन है कि सायला ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है यह तथ्य वाद मे साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगा की वाद भूमि में सायला का हक हिस्सा है या नही एवं सायला ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है या नही।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार है जो कभी भी वाद भूमि को रहन/बैय/अन्य प्रकार से मुन्तकिल कर सकते है सायला के हकों को निर्धारण होने से पूर्व वाद भूमि रहन बैय या अन्य किसी प्रकार मुन्तकिल होती है तो अपूर्णीय क्षति सायला को होती है अर्थात अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायला के पक्ष में है।

वाद भूमि में सायल का हक हिस्सा है या नही सायला ने वाद भूमि में अपने हकों का त्याग किया गया है या नही वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय होगा तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायला के पक्ष में साबित होने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कार्यालय द्वारा दिनांक 29.08.2019 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/4/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner